

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
आदेश

संचिका संख्या - 15/औ०-01-24/2025 पटना, दिनांक - .....2026

श्रीमती अनिता कुमारी, औषधि निरीक्षक, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना (मुख्यालय) का दिनांक-07.05.2025 से 31.05.2025 तक कुल-25 (पच्चीस) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 2426(25), दिनांक- 24.11.2025 के आलोक में दिनांक-07.05.2025 से 31.05.2025 तक कुल-25 (पच्चीस) दिनों की अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०-01-24/2025 108(15A) पटना/दिनांक-...10/02/...2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रीमती अनिता कुमारी, औषधि निरीक्षक, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।